

कांग्रेस की सरकार बनने पर युवा, महिला, किसान होंगे आत्म निर्भर-विकास उपाध्याय

रायपुर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने बलौदाबाजार में ली प्रेस वार्ता

जोहार छत्तीसगढ़ -
बलौदाबाजार।

निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यक्रमों की सूची जारी करते ही आचार सहित प्रभावशील हो गया है तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लोकतंत्र के सबसे बड़े मौजूदा अपना भवित्व आजमाने चुनावी मैदान में उत्तर गए हैं। रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय बलौदाबाजार पहुंचे तथा जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। इस दौरान श्री उपाध्याय ने कहा की

कांग्रेस ने युवाओं के बाद महिलाओं किसानों की समृद्धि के लिये पाच-पाच गारंटी दिया है। कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं से बाद करती है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एप्स की केन्द्र महाराष्ट्रीय योजना लागू करेगी। इसके में रायपुर लोकसभा की नियुक्ति की जायेगी, देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुग्धना किया जायेगा, महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायता की नियुक्ति की जायेगी, देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हास्पिट बनाया जायेगा। किसान हित के लिये उन्होंने कहा की महिलाओं के साथ किसानों के सुख समृद्धि के लिये भी 5 गारंटी देती है। कांग्रेस की सरकार बनने पर एप्स की कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार एक विशेष कानून भारत करने के लिए एक विशेष कानून पारित किया



जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार किसानों के बड़े और उन्होंने कहा की आवश्यक त्रण माफी की राशि नियन्त्रित करने के लिए एक स्थायी कृषि ब्रांच माफी की आयोग की स्थापना की जाएगी। किसानों के फसलों के तुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गरंटीदृ भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा

व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा। हमारे तार हाल गांधी जी ने 5 चरणों में युवा न्याय की घोषणा किया है। भर्ती भर्तीयों के लिए कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी की गारंटी देती है। हम एक कैलेंडर जारी करेंगे और उनके अनुसार समयबद्ध तरीके से भर्ती की प्रक्रिया पूरी डिप्लोमा हालौदर या कॉलेज ग्रेजुएट को पंचिक या प्राइवेट सेक्यूरर की कंपनी में एक साल के अप्रेंटिशिप (प्रशिक्षण) देने के लिए एक नए प्रशिक्षुत अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है।

पिंग इन्होंनी में सामजिक सुरक्षा कांग्रेस गिर इन्होंनी में हर साल रोजगार ढूँढ़ने वाले लाखों युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कार्डशन (कामकाजी स्थिति) और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की गारंटी देती है। यह रोशनी पाच साल की अवधि के लिए देश के सभी जिलों में आवान की सुविधा के साथ कांग्रेस 5,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाएगा। 40 साल से कम उम्र के युवा किसी भी क्षेत्र में अपने बिजेनेस के लिए स्टार्ट-अप फार्डंग से मुक्त कांग्रेस सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठांग या वैडवैट को रोकने के लिए और ईमानदारी एवं निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को होने के लिए और आधारित होगा। किसान ने कांग्रेस के जिला पदाधिकारीयों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली व चुनाव संबंधित जरूरी दिशा निर्देश देते हुए ईमानदारी व कर्तृत्वनिष्ठ होकर काम करने की अपील की।

तरह से रोकेंगे, जिससे मौजूदा समय में करोड़ों युवाओं का भविष्य बदल हो रहा है।

पिंग इन्होंनी में सामजिक सुरक्षा कांग्रेस गिर इन्होंनी में हर साल रोजगार ढूँढ़ने वाले लाखों युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कार्डशन (कामकाजी स्थिति) और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की गारंटी देती है। हम एक कैलेंडर जारी करेंगे और उनके अनुसार समयबद्ध तरीके से भर्ती की प्रक्रिया पूरी डिप्लोमा हालौदर या कॉलेज ग्रेजुएट को पंचिक या प्राइवेट सेक्यूरर की कंपनी में एक साल के अप्रेंटिशिप (प्रशिक्षण) देने के लिए एक नए प्रशिक्षुत अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है।

प्रशिक्षुतों को 1 लाख रुपए (8,500 / माह) हर वर्ष मिलता है। पेपर लोकिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठांगदारी या वैडवैट को रोकने के लिए और ईमानदारी एवं निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को होने के लिए और आधारित होगा। किसान ने कांग्रेस के जिला पदाधिकारीयों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली व चुनाव संबंधित जरूरी दिशा निर्देश देते हुए ईमानदारी व कर्तृत्वनिष्ठ होकर काम करने की अपील की।

जोहार आचार संहिता लागू

छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के उल्लंघन पर होगी दण्डनीय कार्यवाही

जोहार छत्तीसगढ़-
रायगढ़।

दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञे होगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जिसके कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले के हितों की गारंटी देती है। भर्ती भर्तीयों के लिए एक सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठांगदारी या वैडवैट को रोकने के लिए और ईमानदारी एवं निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को होने के लिए एक नए प्रशिक्षुत अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जिसके कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले के हितों की गारंटी देती है। भर्ती भर्तीयों के लिए एक सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठांगदारी या वैडवैट को रोकने के लिए और ईमानदारी एवं निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को होने के लिए एक नए प्रशिक्षुत अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जिसके कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले के हितों की गारंटी देती है। भर्ती भर्तीयों के लिए एक सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठांगदारी या वैडवैट को रोकने के लिए और ईमानदारी एवं निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को होने के लिए एक नए प्रशिक्षुत अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जिसके कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले के हितों की गारंटी देती है। भर्ती भर्तीयों के लिए एक सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठांगदारी या वैडवैट को रोकने के लिए और ईमानदारी एवं निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को होने के लिए एक नए प्रशिक्षुत अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जिसके कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले के हितों की गारंटी देती है। भर्ती भर्तीयों के लिए एक सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठांगदारी या वैडवैट को रोकने के लिए और ईमानदारी एवं निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को होने के लिए एक नए प्रशिक्षुत अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जिसके कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले के हितों की गारंटी देती है। भर्ती भर्तीयों के लिए एक सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठांगदारी या वैडवैट को रोकने के लिए और ईमानदारी एवं निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को होने के लिए एक नए प्रशिक्षुत अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जिसके कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले के हितों की गारंटी देती है। भर्ती भर्तीयों के लिए एक सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठांगदारी या वैडवैट को रोकने के लिए और ईमानदारी एवं निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को होने के लिए एक नए प्रशिक्षुत अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जिसके कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले के हितों की गारंटी देती है। भर्ती भर्तीयों के लिए एक सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठांगदारी या वैडवैट को रोकने के लिए और ईमानदारी एवं निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को होने के लिए एक नए प्रशिक्षुत अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जिसके कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले के हितों की गारंटी देती है। भर्ती भर्तीयों के लिए एक सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठांगदारी या वैडवैट को रोकने के लिए और ईमानदारी एवं निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को होने के लिए एक नए प्रशिक्षुत अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जिसके कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही र

प्रशासन और पुलिस ने निकाल फ्लैंग मार्च, कनून का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

जोहार छत्तीसगढ़-
धरमजयगढ़।

लोकसभा चुनाव शांति पूर्ण तरीके से हो इसके लिए पुलिस धरमजयगढ़, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन अभी से कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो एवं कानून व्यवस्था चुनाव दुरुस्त रहे इसके लिए रेंज आईजी बिलासपुर ने 16 मार्च को एक कार्हम मीटिंग लेकर कर थाना, चौकी प्रशासनों को शब्द निर्देश दिये थे कि कानून के साथ खिलाफ़ करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें एवं निगरानी बदमाशों पर कड़ी नजर बनाये रखें ताकि किसी प्रकार की कोई



आशांति फैला न सकें। आज थाना धरमजयगढ़ क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के मदनजर, चुनाव निपक्ष और शांति पूर्ण

तहसीलदार उच्चल पांडेय के साथ धरमजयगढ़ अनुचिभागीय अधिकारी पुलिस सिद्धांत तिवारी, धरमजयगढ़ कालोनी एवं आसपास के इलाकों में तथा



सामाजिक बाजार धरमजयगढ़ में फैलेग मार्च निकाला गया।

बनोरा में आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर के जरिए 102 मरीजों को मिला लाभ

जोहार छत्तीसगढ़-
रायगढ़।

मानव सेवा हेतु समर्पित संस्थान अधोर गुरु पीठ ट्रस्ट बोरोग के तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 102 मरीजों में जांच का लाभ मिला। लोगों के जीवन में फैले अंधकार को दूर करने हेतु यह संस्थान माह के दो बार निःशुल्क नेत्र जांच करता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आर. के. अग्रवाल द्वारा यह जांच की जाती है। अधोर भगवान राम प्राथमिक उपचार केंद्र के तहत अधोर श्वर भगवान राम नेत्र चिकित्सा केंद्र बनोरा, रायगढ़ में आयोजित इस निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में बनोरा, महापाली, सकरेवाला, चियारपाली, तरझौंबुरा, कुसमेल, रायगढ़, कोयलांगा, अंगल, कांदाहोंडा, गोपालपुर, सिरौली, डेहरीडीया, खरसिया, छुहिपाली, नवापारा, बासेनपाली, लोहांग, रायगढ़ रे.एन्कूट, बड़गांग, कोलेईबहाल, ब्रजराजनगर, बड़कोटकोनी, कारीछा



नुआपाली, सेमलिया, त्रिभोना, बासेनपाली, लोहांग, रायगढ़ रे.एन्कूट, बड़गांग, कोलेईबहाल, तरकेला,

पर, बेहरापाली अमरीपौरा, लालंगापाली दुलूंडा, कांटापाली, कोलियामा, मेदीनीपुर, गांवों से मरीज आए थे। जिन्हें नेत्र जांच का लाभ मिला। इस शिविर में 32 मरीजों को निःशुल्क चशमा विवरित किया गया था, वही 51 मरीजों का चशमा बनने हेतु भेजा गया है उन्हें अगले नेत्र जांच के घर पर आपेक्षा कार्यवाही किया गया। थाना प्रभारी छाल निरीक्षक हर्वर्धन बैस के नेतृत्व में मुख्यिक सूचना पर छाल पुलिस द्वारा ग्राम गड़ीनवाही में रामकुमार यादव के घर पर आपेक्षा कार्यवाही किया गया। आठ मरीजों को नेत्र सर्वान्वित छाल दिया गया। आठ मरीजों मोतियांविद के चिह्नित किए गए। जिन्हें चिकित्सकों द्वारा उचित परामर्श दिया गया। प्रबंधन द्वारा आगामी नेत्र जांच शिविर हेतु 7 अप्रैल 2024 रविवार की जानकारी दी गई है।

आदर्श आचार संहिता लगाने से जिले में दिखने लगा असर

शहर में लगे राजनीतिक पार्टी व उनके जनप्रतिनिधियों के बैनर, पोस्टर निकालने का काम किया थुरु



ऐसे में अतिक्रमण टीम को करते हुए देर शाम तक सीक्रिय प्रशासन के निर्देश का पालन रहना पड़ा है और जहां भी बैनर-

पोस्टर मिलते जा रहे थे, उन्हें हटाने के काम किया जाता रहा है। टीम के मुताबिक बड़े कार्यवाही के बाद भी बड़े पैमाने में बैनर, पोस्टर बचे हुए हैं, ऐसे में आने वाले दिन में भी इन्हें हटाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे शिलालेख जिसमें राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधियों और नेताओं के नाम अंकित हैं, उसपर कागज चम्पा करने का काम भी शुरू कर

दिया गया है। शनिवार की दोपहर आदर्श आचार संहिता लगाने के साथ ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और अपने काम में जूट गए हैं। इधर निरामानसर नगर निम के महापाल रामशरण यादव और सभापति शेख नजीबदीन ने भी अपने सरकारी वाहन जमा करा दिए हैं। पार्टीगत लगी प्रतिमाओं के शिलालेख भी छिपाए

एक टीम ऐसे पार्टीगत प्रतिमाओं की तोलाश कर उसके शिलालेख में कागज चिपकाते हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टी व उनके नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। ऐसे करीब एक दर्जन से ज्यादा में कागज चम्पा किया गया है। इनी तरह रविवार को भी दीवारों पर राजनीतिक पार्टी से लिखे हुए स्टोरग्रान आदि को पोतने की कार्रवाई की जाएगी।

अवैध रेत खनन माफियाओं पर लगातार प्रहार थाना व चौकी बेलगेहना की रेत माफिया के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही

रेत से भरे तीन ट्रैक्टर किया जस

जोहार छत्तीसगढ़-
रत्नपुर।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह भापुसे के द्वारा जिले में अवैध रुप से रेत माफियाओं पर अंकुश लगाते हुए प्रहार अभियान के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके परिपालन में 16 मार्च को पेट्रोलिन के द्वारा ग्राम चपोरा में अवैध रुप से रेत से भरे तीन ट्रैक्टर परिवहन करते मिले ट्रैक्टर के चालकों



को रेत परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या रायली पर्ची पेश करने नोटिस दिया गया। कोई दस्तावेज पेश नहीं करने पर अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर क्र. सीजी 10 एजी 7472, ट्रैक्टर क्र. सीजी 10 बीजे 1627 व ट्रैक्टर क्र. सीजी 10 एआर 6081 को जस कर धारा 102 जाफी की कार्यवाही की गई है। सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रशिक्षण भापुसे अजय कुमार, निरीक्षक देवेश सिंह रायरै, उपनिवारी कमलेश कुमार बंजर, प्रभारी गजेन्द्र, अवैध रेत के अविनाश शर्मा, नवशयम राठौर का सराहीय योगदान रहा।

एक नजर

शादी का झांसा देकर तीन साल तक शारीरिक बनाया संबंध, शिकायत पर हुआ गिरफ्तार

बिलासपुर। निजी संस्थान में काम करने वाली युवती को विवाह युक्त बनाया जाना देकर तीन साल तक शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वह शादी को इन्कास करने लगा। युवती को शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपित युक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया है।

कोतवाली थानेदार विजय चौधरी ने बताया कि पीड़ित युवती 2019-20 में क्षेत्र के निजी संस्थान में काम करती थी। इसी दौरान उसकी पहचान रत्नपुर बस स्टैंड के पास रहने वाले अन्न दास मानिकपुरी (43) से हुई। वह दरबार लाज के पास किरण के मकान में रहकर गोलावार स्थित एक रेस्टोरेंट में काम करता था। युक्त ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाया। उत्तरी ने शादी के लिए दबाव बनाया तो वह टालमटाल करने लगा। इसी बीच युवती को पास चला कि युक्त पहले से शादीशुदा है। इस पर युक्त ने अपनी पहचानी को छोड़कर उससे शादी करने का वादा किया। उसके जांसे में की। इस पर पुलिस ने दुर्क्षम का मामला दर्ज कर आरोपित युक्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित युक्त को न्यायालय में पेश किया गया है।

निष्पक्ष, पारदर्शी और शांति पूर्ण चुनाव कराना प्राथमिकता: कलेक्टर

पेड न्यूज, राजनीतिक विज्ञापन सहित सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार की होगी मॉनीटरिंग

कोरबा। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंजित वर्षत एवं पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोरबा जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचारण संहिता तकलीफ प्रभावशील हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहील में निर्वाचन संबंध करना प्राथमिकता रखेगा। कलेक्टर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में निर्वाचन होना है। भारत निर्वाचन अयोग द्वारा जारी की अंदर अप्रैल 2024, नामांकन जमा करने की अंतिम 10 अप्रैल, नामांकन की स्कूलनी 20 अप्रैल, नामांकन की अंतिम 22 अप्रैल, मतदान की तिथि 04 जून 2024 निर्धारित है। आदर्श आचारण संहिता अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं जननायकी की गई है। आदर्श आचारण संहिता के दौरान रात्रि 09 बजे से सुबह 06 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों को प्रतिवर्धित किया गया है। साक्षीय अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश प्रतिवर्धित किया गया है। पूर्व में जारी किए शस्त्रों के लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। आदर्श आचारण संहिता लागू होते ही 24 घंटे के अंदर शासकीय संपत्ति पर, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्ति पर और 72 घंटे के भीतर निजी संपत्ति पर स